प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक-04.06.2026

थाना नगर पुलिस व एस०ओ०जी० टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन चार अदद ज़िंदा कारतूस, एक अदद अवैध कट्टा 315 बोर मय एक अदद ज़िंदा कारतूस, चार अदद मोबाइल, रुपये 1,620 नगद, एक लोहे के राड व घटना में प्रयुक्त गाड़ी स्कार्पियो-एन किया गया बरामद-

थाना नगर पुलिस व **एस०ओ०जी० टीम बस्ती** की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत पारिवारिक वाद-विवाद के उपरांत व्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा अपने साथी के साथ व्यक्ति के घर छत पर आकर व्यक्ति को पिस्टल दिखाकर मारने-पीटने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-150/2026 धारा-115(2), 351(3), 352, 61(2) BNS व धारा-3/25 Arms Act पंजीकृत कर **संबंधित अभियुक्त 1-** राहुल उर्फ़ शुभम विश्वकर्मा पुत्र राम करन विश्वकर्मा को दिनांक-03.06.2026 को समय करीब 02:00 बजे ग्राम बीरऊपुर थाना नगर से गिरफ्तार कर **उसके कब्जे से** एक अदद पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन चार अदद ज़िंदा कारतूस व एक अदद मोबाइल बरामद कर **पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त 2-** ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह को समय करीब 23:30 बजे ग्राम खुटहन से गिरफ्तार कर **उसके कब्जे से** एक अदद कट्टा 315 बोर मय एक अदद ज़िंदा कारतूस व तीन अदद मोबाइल, रुपये 1,620 नगद, एक लोहे का राड व घटना में प्रयुक्त गाड़ी स्कार्पियो-एन को बरामद कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है|

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- राहुल उर्फ़ शुभम विश्वकर्मा पुत्र राम करन विश्वकर्मा निवासी ग्राम जिलेबीगंज थाना पैकोलिया जनपद बस्ती|

2- ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी ग्राम लवड़ापुर थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती|

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन चार अदद ज़िंदा कारतूस व एक अदद मोबाइल|

2- एक अदद कट्टा 315 बोर मय एक अदद ज़िंदा कारतूस, तीन अदद मोबाइल (सैमसंग एस-24 अल्ट्रा, सैमसंग-जेड फोल्ड-7, एक अदद आई फोन), रुपये 1,620/- नगद, एक लोहे का राड व घटना में प्रयुक्त गाड़ी स्कार्पियो-एन|

घटना/ पूछताछ का विवरण-

दिनांक-02/03.06.2026 को थाना नगर पर सूचना प्राप्त हुआ कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिरऊपुर में पारिवारिक वाद-विवाद के दौरान एक व्यक्ति पिस्टल लेकर डरा-धमका रहा है, जिस पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर **सम्बंधित अभियुक्त 1-** राहुल उर्फ़ शुभम विश्वकर्मा को दिनांक-03.06.2026 को समय करीब 02:00 बजे ग्राम बीरऊपुर थाना नगर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन चार अदद ज़िंदा कारतूस व एक अदद मोबाइल बरामद किया गया, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं प्राइवेट आवास लेकर मड़वानगर जनपद बस्ती में रहता हूँ| मेरी बहन की शादी श्रवण विश्वकर्मा पुत्र राकेश विश्वकर्मा ग्राम बिरऊपुर थाना नगर जनपद बस्ती से हुई है| मेरी बहन ने जरिये टेलीफोन बताया कि मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते हुए मार-पीट रहे है, जिस पर मै अपने बहन के घर पहुंचा तो मेरी बहन मुझे देखकर रो-बिलख रही थी, जिससे अपने जिजा के बारे में पूछकर उनके छत पर चढ़ गया, जहां मेरी बहन को मारने के कारण के बारे में पूछते हुए उन पर पिस्टल निकालकर तान दिया एवं उन्हें गाली-गुप्ता देते हुए लात-मूका से मारा एवं मेरी बहन को दुबारा मारने-पीटने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था कि वो चिल्लाने/ शोर मचाने लगे जिस पर उनके परिवार के अन्य सदस्य आकर मुझे पकड़ कर मेरा पिस्टल छिन लिए, जिसके संबंध में प्राप्त सूचना पर आप लोगों द्वारा मुझे गिरफ्तार कर मेरे पास रखे पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया गया|

स्थानीय पुलिस द्वारा पिस्टल आदि के बारे में पूछताछ करने पर **अभियुक्त 1-** राहुल उर्फ़ शुभम विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि मै **2-**ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह के सम्पर्क में रहता हूँ, जिन्हें मेरी बहन के फोन आने के बाद सारी बात को बताया जिस पर उन्होंने अपना असलहा पिस्टल .32 बोर देते हुए कहा कि जाओ साले को मार दो जिस असलहे को लेकर मैं अपनी बहन के घर गया था| **थाना नगर पुलिस** व **एस०ओ०जी० टीम बस्ती** द्वारा **अभियुक्त 1-** राहुल उर्फ़ शुभम विश्वकर्मा की निशानदेही पर ग्राम खुटहन पहुंच कर मौके पर खड़ी महेंद्रा स्कार्पियों-एन गाड़ी संख्या-UP53FE4178 व उसमें बैठे व्यक्ति **2-**ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह को चेक करने के दौरान एक अदद कट्टा 315 बोर मय एक अदद ज़िंदा कारतूस, तीन अदद मोबाइल, रुपये 1,620/- नगद, एक लोहे का राड घटना में प्रयुक्त गाड़ी स्कार्पियो-एन बरामद किया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-150/2026

धारा-115(2), 351(3), 352 BNS व धारा-3/25 Arms Act बनाम **अभियुक्त 1-** राहुल उर्फ़ शुभम विश्वकर्मा **एवं** धारा-61(2) BNS व धारा-3/25 Arms Act बनाम **2-**ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह पंजीकृत कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष नगर भानु प्रताप सिंह जानपद बस्ती |

2- प्रभारी निरीक्षक एस०ओ०जी० विकास यादव

3- उ०नि० चंद्रशेखर राम थाना नगर जनपद बस्ती |

4- रि०का0 हिमांशु, रि०क़ा० विकास वर्मा थाना नगर जनपद बस्ती |

5- हे0का0 अभय उपाध्याय, हे0का0 इरशाद खान, का0 विजय यादव, का0 चन्दन एस०ओ०जी० टीम जनपद बस्ती |

6- हे0का0 सत्येन्द्र सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |